<u>न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–01, बांदीकुई, जिला–दौसा।</u>

पीठासीन अधिकारी– हनुमान सहाय जाट, आर.जे.एस.(RJ00640)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या–36 सन् 2025

राजस्थान राज्य बनाम रामवतार

Case No.Session Case/39/2025

CNR RJDS060007162025

निर्णय दिनांक–02.04.2026

FIR No.144/2025 पुलिस थाना–कोलवा

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

रामअवतार पुत्र छाजूराम मीना, निवासी–धनावड, पुलिस थाना कोलवा, जिला–दौसा।

–अभियुक्त

<u>उपस्थितः</u>–

1.राजस्थान राज्य की ओर से – श्री राकेश कुमार विजय, Add.PP

2.अभियुक्त की ओर से – श्री एस.डी.मीना, एडवोकेट

अपराध की दिनांक	31.07.2025
एफआईआर दर्ज कराने की दिनांक	02.08.2025
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	27.11.2025
आरोप विरचित करने की दिनांक	01.12.2025
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	15.01.2026
बहस अंतिम की दिनांक	01.04.2026
निर्णय दिनांक	02.04.2026
दंडादेश की दिनांक (If Any)	–

अभियुक्त का विवरणः–

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए

							विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	रामअवतार	07.10.2025	26.02.2026	85, 80(2) बीएनएस	दोषमुक्त	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूची:–

(अ) अभियोजन साक्षी:–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	पी.डब्ल्यू–1 गिर्राज प्रसाद	नक्शा मौका का गवाह
2.	पी.डब्ल्यू–2 गिरधारीलाल	मृतका का पिता/परिवादी
3.	पी.डब्ल्यू–3 सागर	मृतका की मां
4.	पी.डब्ल्यू–4 महेश	मृतका का भाई
5.	पी.डब्ल्यू–5 लोकेश	मृतका का भाई
6.	पी.डब्ल्यू–6 विनोद कुमार	मृतका को कुए से बाहर निकालने के गवाह
7.	पी.डब्ल्यू–7 शंकरलाल	मृतका को कुए से बाहर निकालने के गवाह
8.	पी.डब्ल्यू–8 रेशम	वाकियाती गवाह
9.	पी.डब्ल्यू–9 शिवलाल	वाकियाती गवाह
10.	पी.डब्ल्यू–10 आशा	वाकियाती गवाह
11.	पी.डब्ल्यू–11 रामकिशोर	पंचायतनामा का गवाह
12.	पी.डब्ल्यू–12 कैलाश	वाकियाती गवाह
13.	पी.डब्ल्यू–13 रोहिताश	अनुसंधान अधिकारी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	–	–

(स) न्यायालय साक्षीः–

NIL

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः–

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्शपी–1	नक्शा मौका
2.	प्रदर्शपी–2	तहरीरी रिपोर्ट
3.	प्रदर्शपी–3	चाक एफ.आई.आर.
4.	प्रदर्शपी–4 व 5	धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस
5.	प्रदर्शपी–6	धारा 180 BNSS के कथन गिरधारी
6.	प्रदर्शपी–7	धारा 180 BNSS के कथन सागर
7.	प्रदर्शपी–8	फर्द पंचायतनाम मृतका हंसा
8.	प्रदर्शपी–9	धारा 180 BNSS के कथन महेश कुमार
9.	प्रदर्शपी–10	रसीद सुपुर्दगी लाश
10	प्रदर्शपी–11	धारा 180 BNSS के कथन लोकेश
11.	प्रदर्शपी–12	धारा 180 BNSS के कथन विनोद कुमार
12.	प्रदर्शपी–13	धारा 180 BNSS के कथन शंकर
13.	प्रदर्शपी–14	धारा 180 BNSS के कथन रेशम
14.	प्रदर्शपी–15	धारा 180 BNSS के कथन शिवलाल
15.	प्रदर्शपी–16	धारा 180 BNSS के कथन आशा
16.	प्रदर्शपी–17	धारा 180 BNSS के कथन कैलाश
17.	प्रदर्शपी–18	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका हंसा

18.	प्रदर्शपी–19	BED HEAD TICKET
19.	प्रदर्शपी–20	फर्द गिरफतारी अभियुक्त
20.	प्रदर्शपी–21	फर्द जब्ती दहेज सामान
21.	प्रदर्शपी–22	अस्थायी सुपुर्दगी दहेज सामान

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	–	–

(स) न्यायालय दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	–	–

(द) आर्टिकल्स सूचीः–NIL

अपराध अंतर्गत 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता

//निर्णय// **दिनांकः02.04.2026**

01– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2025 को परिवादी गिरधारी ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना कोलवा में इस आशय की दर्ज करवायी कि मेरी पुत्री हंसी का विवाह गत वर्ष रामवतार के साथ हुआ था। मेरी क्षमता के अनुसार अच्छा विवाह किया था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही मेरी पुत्री को जाती दहेज की मांग करने लग गया व एक फोर व्हीलर की मांग को लेकर रोजाना मेरी पुत्री को प्रताडित करता था। रोजाना मारपीट करता था व फोन से बातचीत नहीं करने देता था जिससे मेरी पुत्री के ससुराल में भी अन्य व्यक्ति सम्मलित को दिनांक 31.07.2025 को मेरी पुत्री को बलपूर्वक

घसीटकर कुए में मारपीट कर धक्का देकर गिरा दिया जिसकी सूचना मुझे दिनांक 01.08.2025 को पुलिस मिली .....आदि पर पुलिस थाना कोलवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–144 सन् 2025, अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 85, 316(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

02– बहस चार्ज सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त को धारा 85, 80(2) BNS के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 13 गवाहन के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 22 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

04– अभियुक्त के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध किये गये। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, गवाहन द्वारा झूंठ बोलना कथन करते हुए कथन किया कि उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

05– बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपनी जुबानी बहस में तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को बखूबी साबित किया है। जिसकी चिकित्सीय साक्ष्य से भी समपुष्टि होती है। अभियोजन अपना मामला

संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

6– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क रहा है कि प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं व प्रत्यक्षदर्शी गवाहान के द्वारा भी अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अन्त में अभियुक्त को सभी धाराओं के आरोप में दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

07– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

"आया दिनांक 31.07.2025 से पूर्व किसी भी समय अभियुक्त के द्वारा मृतका हंसी से दहेज में चार पहिया वाहन व अन्य दहेज की मांग की एवं उक्त मांग की पूर्ति में मृतका हंसी को शारीरिक व मानसिक रूप से तंग व परेशान कर क्रूरता कारित की। मृतका हंसी से विवाह की दिनांक से सात वर्ष के भीतर दहेज की मांग की और उक्त मांग की पूर्ति के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर क्रूरता कारित की तथा मृतका हंसी की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर दाह अथवा शारीरिक क्षति द्वारा कारित की?"

यदि हां तो उचित दंड क्या हो?

08– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 13 गवाह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 22 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है। मौखिक साक्ष्य में परीक्षित गवाहान में से गवाह पी.डब्ल्यू–1 **गिर्राज प्रसाद मीना** जो कि इस प्रकरण में नक्शा मौका का मौतबीर गवाह है। जिसने नक्शा मौका प्रदर्शपी–1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताइद की है। गवाह **पी.**

डब्ल्यू–2 गिरधारीलाल मीना जो कि इस प्रकरण में मृतका का पिता है। जिसने अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है तथा अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है। मृतका से दहेज की मांग करने से इंकार किया है तथा मृतका की मृत्यु कबूतरों को अनाज डालते समय पैर फिसलकर कुए में गिर जाने से होना बताया है। उक्त गवाह प्रकरण का परिवादी भी है। जिसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी–2 के तथ्यों की ताइद नहीं की है। **गवाह पी.डब्ल्यू–3 सागर** जो कि इस प्रकरण में मृतका की मां है। जिसने अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुई है। मृतका की मृत्यु कबूतरों को अनाज डालते समय पैर फिसलने से कुए में गिर जाने से होना बताया है। दहेज की मांग करने से इंकार किया है। गवाह **पी. डब्ल्यू–4 महेश व पी.डब्ल्यू–5 लोकेश** जो कि इस प्रकरण में मृतका के भाई हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इन्होंने मृतका की मृत्यु पक्षियों को अनाज डालते समय पैर फिसलने से कुए में गिर जाने से होना बताया है। दहेज की मांग करने से इंकार किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–6 विनोद कुमार व पी. डब्ल्यू–7 शंकरलाल** जो कि प्रकरण में मृतका को कुए से बाहर निकालने के बाद मृतका द्वारा मृत्यु का कारण के संबंध में जो बात बतायी गयी थी उसके संबंध में गवाह है। उक्त दोनों गवाहन ने कथन किया है कि हंसा देवी उर्फ हंसी देवी देवस्थान पर चुग्गा डालने गयी थी जो रास्ते में बने कुए में गिर गयी थी। बाहर निकाला तो बताया कि पैर फिसलने के कारण गिर गयी थी। उक्त दोनों गवाहों ने अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। कुए पर रामवतार के मौजूद होने से इंकार किया है तथा दहेज के लिए प्रताडित करने से भी इंकार किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–8 रेशम**

जो कि इस प्रकरण में वाकियाती गवाह है। जिसने अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुई है। दहेज की मांग करने से इंकार किया है तथा मृतका की मृत्यु का कारण पैर फिसलने के कारण कुए में गिर जाने से होना बताया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–9 शिवलाल** जो कि इस प्रकरण में वाकियाती गवाह है। जिसने अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है। दहेज मांगने से इंकार किया है तथा मृतका की मृत्यु चुग्गा डालते समय पैर फिसलने से कुए में गिर जाने से होना बताया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–10 आशा** जो कि इस प्रकरण में वाकियाती गवाह है। इसने अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुई है। जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कुए में से आवाज आ रही थी। मैं भागकर वहां गयी तब उसकी अंदर से आवाज आयी कि मैं पैर फिसलने से गिर गयी मुझे बचाओ। तब मैंने आवाज देकर लोगों को बुलाया उन्होंने उसे कुए में से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाकर ईलाज कराया। दौराने ईलाज एक महीने में खत्म हो गयी थी। इस प्रकार इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है। अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही हुई है। जिरह में दहेज के लिए प्रताडित करने से इंकार किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–11 रामकिशोर** पंचनामा का गवाह है। जिसने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर होने की ताइद की है। गवाह **पी. डब्ल्यू–12 कैलाश** जो कि इस प्रकरण में वाकियाती गवाह है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की है तथा अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है। जिरह में दहेज के लिए प्रताडित करने से इंकार किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–13 रोहिताश** अनुसंधान अधिकारी है। जिसने अनुसंधान के संबंध में कथन किये हैं।

9– लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी–2 के अनुसार दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करना बताया गया है परन्तु अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने चार पहिया वाहन की मांग करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। मृतका के परिजनों के द्वारा भी दहेज की मांग करने के संबंध में इंकार किया है। अतः दहेज की मांग करने के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहन के द्वारा अभियोजन कहानी की ताइद नहीं करने से दहेज की मांग करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। मारपीट, तंग, परेशान करने के संबंध में भी अभियोजन के गवाहान के द्वारा ताइद नहीं की गयी है। अतः मारपीट कर तंग परेशान करने का तथ्य भी प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। दिनांक 31.07.2025 को बलपूर्वक घसीटकर कुए में मारपीट कर धक्का देकर गिरा देना प्रदर्शपी–2 में बताया है। परन्तु अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह द्वारा दिनांक 31.07.2025 को मृतका को घसीटकर कुए में मारपीट कर धक्का देकर गिरा देने की ताइद नहीं की गयी है। घटना के समय रामअवतार के कुए पर उपस्थित होने से भी इंकार किया है तथा साथ ही सभी गवाहन के द्वारा पक्षियों को दाना डालते समय पैर फिसलने से कुए में गिर जाने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि पक्षियों को दाना डालते समय बरसात का मौसम होने से पैर फसिलने से कुए में गिर गयी थी। अभियोजन के गवाहन के द्वारा जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त की ओर से जो प्रतिरक्षा ली गयी है उसकी पुष्टि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहन के कथनों से होती है। अभियोजन के गवाहन द्वारा जिरह में की गयी स्वीकारोक्ति से इस संभावना का प्रतिपादन होता है कि मृतका हंसी के द्वारा पक्षियों को दाना डालते समय बरसात का मौसम होने से पैर फिसलकर कुए में गिरने से उनकी मृत्यु कारित हुई। मृतका

को बलपूर्वक घसीटकर कुए में धक्का देने के संबंध में अभियोजन के गवाहन के द्वारा ताइद नहीं करने से यह संभावना प्रकट नहीं होती है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका को घसीटकर बलपूर्वक कुए में धक्का दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी–18 में मृत्यु का कारण चोट संख्या–1 के कारण Septicaemic Shock होना बताया गया है। चोट संख्या–1 छाती व पेट पर होना अंकित किया गया है। चोट का कारण अभियोजन के गवाहन के द्वारा पक्षियों को दाना डालते समय पैर फिसलकर कुए में गिर जाना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी–18 में भी पुलिस के द्वारा जो सूचना दी गयी है उसके अनुसार कुए में गिरने से आयी चोटों के कारण दौराने इलाज मृत्यु हुई है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मृतका हंसी से दहेज की मांग करने एवं मांग की पूर्ति के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। साथ ही दहेज की मांग के लिए मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित होना भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त **रामअवतार** को जुर्म धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

//आदेश//

10– अतः अभियुक्त **रामअवतार** पुत्र छाजूराम मीना, निवासी–धनावड, पुलिस थाना कोलवा,जिला–दौसा को जुर्म धारा **85, 80**(2) भारतीय न्याय संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11– अभियुक्त को धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 30,000–

30,000 रूपये के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिया जाता है। पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके बाबत हाजरी निरस्त किए जाते हैं ।

12– प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अवधि निगरानी/अपील अपील पेश नहीं होने की दशा में नियमानुसार नष्ट किये जावे एवं निगरानी/ अपील पेश होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1,
बांदीकुई, जिला दौसा

13– निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1,
बांदीकुई, जिला दौसा